न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 96/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 13 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम चिपिया तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **43.62** हेक्टेयर भूमि में से **31.86** हेक्टेयर भूमि की मांग धिंरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम चिपिया की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	761	0.400	0.17
2	752	16.330	11.860
3	2272	13.610	9.450
4	753	4.840	3.88
5	765	6.350	5.08
6	776	1.780	1.26
7	767	0.310	0.16
	कुल किता 7	**43.62 हेक्टेयर**	**31.86 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। विज्ञप्ति प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं।कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 166 दिनांक 27/02/2024 के द्वारा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि कम्पनी जयसिंहपुरा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर, हल्का पटवारी ग्राम चिपिया एवं संरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिपिया को पत्र जारी कर अनापत्ति चाही गई। सहायक यंत्री म. प्र.प.क्षे. वि.वि. कंपनी लिमिटेड जयसिंहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक / क.प. / जयसिंहपुरा / कार्य/ 2023-24/32 दिनांक 12/04/2024 से अनापत्ति दी गई है।ग्राम पंचायत चिपिया, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर से प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभिमत प्रस्तुत नही किया गया।प्रकरण में कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि. /2023/2360 शाजापुर दिनांक 06/06/2023 के द्वारा आवेदित सर्वे नंबरो को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना लेख किया है।हल्का पटवारी चिपिया द्वारा प्रतिवेदन मय खसरा नक्शा की तीन प्रतिलिपि में एवं मिसल बंदोबस्त की छायाप्रति सहित प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम चिपिया स्थित भूमि आवेदित सर्वे नंबर वर्तमान रिकार्ड अनुसार शासकीय है। जिसमें सर्वे क्रमांक 752 रकबा 16.33 चरनोई मद, 753 रकबा 4.84 चारागाह मद, 765 रकबा 6.35 गोचर मद, 776 रकबा 1.78 गोचर मद **2272** रकबा **13.61** हेक्टेयर भूमि चरनाई मद, कुल **5** किता भूमि गोचर चारागाह एवं चरनाई मद में दर्ज है एवं शेष सर्वे नंबर **761** रकबा **0.400**, एवं **767** रकबा **0.310** हेक्टेयर बर्डी तथा कदीम मद में दर्ज है। आवेदित सर्वे नंबरों में से चरनोई, चारागाई एवं गोचर मद की भूमि का आवंटन किया जाने से

ग्राम का चरनोई का रकबा प्रभावित होने पर दिया जाना उचित नही होगा। ग्राम चिपिया का भोगोलिक रकबा 1083.180 हे. है। शामिल जोत (खाते का रकबा) का रकबा मिसल बंदोबस्त अनुसार 586.800 हे. है। जिससे ग्राम में शामिल जोत (खाते) के 2 प्रतिशत चरनोई रकबा 11.730 हेक्टेयर सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आवेदित सर्वे नंबर अतिक्रमण मुक्त है। जिसमें किसी प्रकार की जल संरचना हाईटेंशन लाईन एवं समशान, कब्रस्तान आदि नही है। आवेदित सर्वे नंबरो का मुताबिक मिसल बंदोबस्त एवं वर्तमान अभिलेख अनुसार नोईयत एवं आवंटन योग्य वक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि की जानकारी है। उपरोक्त सर्वे नंबरों में हल्का पटवारी द्वारा सर्वे नंबर 752, 753, 765, 776, 2272 योग 5 किता चरनोई, चारगाह एवं गोचर मद में होने के कारण इनके आवंटन से ग्राम चिपिया का 2 प्रतिशत चरनोई रकबा प्रभावित होना प्रतिवेदित किया है। परन्तु ग्राम में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा के प्रकरण क्रमांक 0078/120(3)/2022-23 दिनांक 17/04/2023 के द्वारा ग्राम चिपिया का सर्वे नंबर 1353 में ग्राम के शामिल जोत (खाते का) का रकबा 586.80 हे. का 2 प्रतिशत रकबा 11.730 हेक्टेयर सुरक्षित किया गया है। जिससे आवेदित सर्वे नंबरो के आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु आरक्षित रकबे में कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः आवेदित भूमि का आवंटित किया जाना उचित प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित ग्राम चिपिया स्थित भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 अनुसार सिंचित भूमि प्रति हेक्टेयर का मूल्य 12,52,000 रूपये के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि मान से आवेदित रकबा 31.860 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का निर्धारण 6,38,21,952/- (छः करोड़ अडतीस लाख इक्कीस हजार नो सो बावन रूपये मात्र) होता है। नायब तहसीलदार झोंटा द्वारा ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक भूमि सर्वे नंबर 761 रकबा 0.400 में से 0.170 हे.. 752 रकबा 16.330 में से 11.860 हे., 2272 रकबा 13.610 में से 9.450 हे., 753 रकबा 4.840 में से 3.880 हे., 765 रकबा 6. 350 में से 5.080 हे., 776 रकबा 1.780 में से 1.260 हे., 767 रकबा 0.310 में से 0.160 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 31. 860 हेक्टेयर भूमि आवेदक के आवेदन के परिपेक्ष में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनुभाग आगर- बड़ौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक भूमि सर्वे नंबर 761 रकबा 0.400 में से 0.170 हे.. 752 रकबा 16.330 में से 11.860 हे., 2272 रकबा 13.610 में से 9.450 हे., 753 रकबा 4.840 में से 3.880 हे., 765 रकबा 6. 350 में से 5.080 हे., 776 रकबा 1.780 में से 1.260 हे., 767 रकबा 0.310 में से 0.160 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 31. 860 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक भूमि सर्वे नंबर 761 रकबा 0.400 में से 0.170 हे., 752 रकबा 16.330 में से 11.860 हे., 2272 रकबा 13.610

में से 9.450 हे., 753 रकबा 4.840 में से 3.880 हे., 765 रकबा 6. 350 में से 5.080 हे., 776 रकबा 1.780 में से 1.260 हे., 767 रकबा 0.310 में से 0.160 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 31. 860 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम चिपिया तहसील बडौद स्थित कुल किता 7 कुल रकबा 31.860 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण निर्धारण 6,38,21,952/- (छः करोड़ अडतीस लाख इक्कीस हजार नो सो बावन रूपये मात्र) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

13/12/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/497
आगर मालवा, दिनांक 13 /12/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

13/12/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611612944 81M5H4D8SMELH0	752/2 (S)		11.8600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611613023 81M3MND8SQAUH0	753/1 (S)		3.8800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611612999 81M76GD8SZJRH0	761/1 (S)		0.1700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611121318 81M74TD8SQ6NH0	765/1 (S)		5.0800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611121307 81M51TD8SRAGH0	767/2 (S)		0.1600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611612966 81M5SCD8SSA8H0	776/2 (S)		1.2600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611121353 81M1E6D8SP98H0	2272/2 (S)		9.4500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट